न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 97/2019 निर्णय दिनांक: 06.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2019/00246

प्रहलाद पुत्र श्रवणकुमार जाति जाट निवासी धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. श्रवणकुमार पुत्र उमाराम
2. लालचन्द पुत्र श्रवणकुमार
3. मैनादेवी पत्नि श्रवणकुमार
4. मुन्नी पुत्री श्रवणकुमार

जाति जाट निवासी धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
6. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़

—अप्रार्थीगण—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री साजिद खान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसमें सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके आपसी सम्बन्धो का खुलासा इस प्रकार से है:—

उमाराम (फौत)
श्रवणकुमार (पुत्र)

मैनादेवी (पत्नि)	प्रहलाद (पुत्र)	लालचन्द (पुत्र)	मुन्नी (पुत्री)

प्रार्थी के विरास्तन के खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.7700 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त वादगत खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.7700 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान में से पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी के 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा — काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.7700 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा एवं विभाजन करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार प्रार्थी ने अपनी खातेदारी हिस्से की कब्जा—काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बन्धित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से प्रादर्शित खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थी ने ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

करने से दिनांक 25.11.2019 को स्पष्ट इनकार कर दिया । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से दिनांक 25.11.2019 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और प्रार्थी को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे। वादगत खेतों में प्रार्थी का कब्जा काश्त होने एवं प्रार्थी व अप्रार्थी का संयुक्त खातेदारी के होने व अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25.11.2019 की इनकारी से प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेत में आये हुए प्रार्थी के हक से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनाँक– 25.11.2019 को धमकी दी और अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे। और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब प्रार्थी ने दिनाँक 25.11.2019 को ही प्रार्थी संख्या 1 ता 2 से प्रार्थी के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व पूरे खेत को विक्रय कर देगे इसलिए प्रार्थी को दिनाँक 25.11.2019 को अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का कॉज ऑफ एक्शन उत्पन हो गया है यह है कि प्रार्थी का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन प्रार्थी को दिनाँक 25.11.2019 प्राप्त हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 प्रार्थी के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। प्रार्थी को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है । यह है कि प्रार्थी को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा–काश्त पिछले 15 वर्षो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा प्रार्थी के खेतों विक्रय कर दिया तो प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। प्रार्थी उक्त खेतों को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने दिनांक 25.11.2019 को प्रार्थी को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नही करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सख्या 1 ता 2 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने का निवेदन किया तो प्रतिप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुम्हारे को वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देगे, वादगत खेतों से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में प्रार्थी का हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shugnam Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त से इनकार कर रहे है प्रार्थी को वादगत खेतों से बेदखल करने पर आमन्दा हो रहे है तथा प्रार्थी का कब्जा छुड़ाने की धमकिया दे रहे है इसलिए प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी वादगत खेतों की भूमि का रकबा विक्रय, हस्तान्तरण करने की फिराक व कोशिश में है । अगर अप्रार्थी अपने गलत मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपने हक से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या पारिवारिक विभाजन व कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है । अप्रार्थी प्रार्थी को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है व प्रार्थी को उसके हिस्से में प्रार्थी का जायज हिस्सा हड़प करने की धमकिया दे रहे है, अगर अप्रार्थी प्रार्थी को वादगत खेतों से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला अहम नुकशान होगा, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्धात भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.7700 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी के कब्जे काश्त में प्रवेश न करे किसी प्रकार का हस्तांतरण, बेय मुन्तकिल की कार्यवाही नहीं करें जिससे कि प्रार्थी के हक–अधिकारों पर कुठाराघात होता हो तथा ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो तथा दावे के निस्तारण तक वादगत रकबा के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें । श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। उभयपक्षकारान अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.77 हैक्टेयर का पूरा रकबा विरास्तन नहीं है इसमें से 1.7363 हैक्टेयर रकबा प्रार्थी के ताऊ व अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के ताऊ तथा अप्रार्थी संख्या 1 के भाई सूरजाराम ने खेत खसरा नम्बर 378 तादादी 3.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 530 तादादी 2.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 900 तादादी 7.53 हैक्टेयर कुल तादादी 13.89 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान में से 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र दिनांक 15.02.2010 को अप्रार्थी सं. 1 को परित्याग [illegible] जिसका इन्तकाल भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ व खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.77 हैक्टेयर में से 1.7363 हैक्टेयर रकबा निकाल देने के बाद शेष रकबा 2.0337 हैक्टेयर रहता है। उक्त 2.0337 हैक्टेयर रकबा विरास्तन है। उक्त रकबे में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग लगातार रूप से चला आ रहा है। खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.77 हैक्टेयर का पूरा रकबा विरास्तन नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

बीच आज तक कोई लिखित व मौखिक पारिवारिक विभाजन नहीं हुआ है। वादगत खेत में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा नहीं है व ना ही वादगत खेत के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है । वादगत खेत पर तो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है । वादगत खेत में अप्रार्थी संख्या 1 ने कृषि ट्यूब वैल बना रखा है। कृषि ट्यूब वैल का बिल आदि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही किया जा रहा है। प्रार्थी ने कभी भी बिजली के बिल की राशि अदा नहीं की ना ही वादगत खेत पर लिए गये ऋण का भुगतान प्रार्थी द्वारा किया गया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से उक्त झूठा वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं व खारिज किए जाने योग्य है। वादगत खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.77 हैक्टेयर जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने कृषि ट्यूब वैल बना रखा है व पूरे रकबे का अप्रार्थी संख्या 1 ने काश्त कर रखा है तथा अप्रार्थी सं. 1 को उक्त रकबा में 1.7363 हैक्टेयर भूमि परित्याग से प्राप्त हुई है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को वादगत खेत में अप्राथी संख्या 1 के जीवनकाल में विभाजन की घोषणा करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादगत खेत के सम्बन्ध में कभी भी कोई सहयोग नहीं किया बल्कि अप्रार्थीगण को डरा धमका कर वादगत खेत को हड़प करना चाहता है। वादगत खेत में प्रार्थी का कोई हक नहीं बनता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बिलकुल ही मनघड़त व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो चलने योग्य नहीं व खारिज किए जाने योग्य है। वादगत खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.77 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से है। उक्त खातेदारी खेत से प्रार्थी अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने तमाम तथ्य प्रार्थना पत्र को रंगत देने की नीयत से झूठे दर्ज करवाये है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किए जाने योग्य है। वादगत खेत के सम्बन्ध में प्रार्थी का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है क्योंकि वादगत खेत की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से है। वादगत खेत के रकबे में से 1.7363 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के भाई सूरजाराम ने जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र दिनांक 15.02.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग किया था। शेष रकबा 2.0337 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के अपने भाईयों के साथ वादगत खेतों में विभाजन के जरिये दिनांक 19.04.2011 को प्राप्त हुआ, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का वादगत खेतों में 15 वर्षो से कब्जा काश्त होने का तथ्य बिलकुल झूठा साबित होता है । अगर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी अपने मन्सूबों में कामयाब हो जाता है तो अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है । वादगत खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.77 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से है। उक्त खसरा भूमि में 1.7363 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के भाई सूरजाराम ने जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र दिनांक 15.02.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग किया था। शेष रकबा 2.0337 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के अपने भाईयों के साथ वादगत खेतों में विभाजन के जरिये दिनांक 19.04.2011 को प्राप्त हुआ। वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि पैतृक नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार से हक हिस्से की मांग करने अथवा विभाजन, घोषणा करवाने का अधिकार नहीं है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बिलकुल ही गलत आधारों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:35 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रस्तुत किया है । प्रार्थी का वाद कानूनी खामियों से भी ग्रसित है । प्रार्थी ने हस्तगत वाद में उक्त कृषि भूमि को पैतृक कृषि भूमि माना है तथा पैतृक हिस्से के तौर पर वंश वंशावली भी दी है। वंश वंशावली के अनुसार खसरा नम्बर 1134/900 की 2.0337 हैक्टेयर भूमि में कुल 5 हिस्सेदार होते है जबकि प्रार्थी ने उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि में अपना 1/2 हिस्सा की घोषणा एवं विभाजन चाहा है जो कतई कानूनी रूप से भी संभव नहीं है। वादगत खसरा भूमि में पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ने ट्यूब वैल बना रखा है तथा मौके पर पूर्वी तरफ ढाणी बनी हुई है व सिंचित फसले काश्त की हुई है, प्रार्थी का वादगत खसरा भूमि के पूर्वी तरफ के 1/2 हिस्से पर कोई काश्त काश्त ही नहीं है व ना ही हो सकता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिलकुल ही गलत आधारों पर प्रस्तुत होने से काबिले खारिज है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि विवादित भूमि पैतृक स्वरूप की है जिसमें प्रार्थी का भी हिस्सा बनता है, जिसका अंतिम निर्धारण मूल वाद के निस्तारण व पूर्ण साक्ष्य के उपरांत ही संभव है। पत्रावली पर प्रस्तुत वंश–वंशावली के अनुसार, प्रार्थी के पिता श्री श्रवणकुमार के कुल 4 उत्तराधिकारी (पुत्र/पुत्रियां) हैं। उत्तराधिकार के मान्य सिद्धांतों के अनुसार, प्रार्थी का उक्त संपत्ति में 1/5 अंश नोशनल शेयर के रूप में परिलक्षित होता है। न्यायालय का यह मत है कि न्याय के हित में प्रार्थी के इस नोशनल शेयर की 1/5 हिस्सा भूमि को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। यदि प्रार्थी के इस संभावित हिस्से पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है और विचाराधीन वाद के दौरान इस भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है, तो इससे न केवल विधिक जटिलताएँ और वाद–बाहुल्यता बढ़ेगी, बल्कि प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई संभव नहीं होगी। अतः, प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनों आधारभूत कानूनी सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी के नोशनल शेयर की 1/5 हिस्से भूमि तक सिद्ध पाए जाते हैं। तद्नुसार, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1134/900 तादादी 3.7700 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चौटियान हसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकारान प्रार्थी के नोशनल शेयर की 1/5 हिस्से तक की भूमि र तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया या। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:35 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़